सारेगामा इंडिया लिमिटेड
वि.
नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड एवं अन्य।
(सिविल अपील संख्या 5985-5987/2021)
27 सितंबर, 2021

{न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना,न्यायाधीशगण }

भारत का संविधानः अनुच्छेद 226 - रिट अधिकारिता, का दायरा- न्यायिक पुनर्लेखन, अनुज्ञेयता- निर्धारितः- रिट अदालत को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान द्वारा सौंपा गया है-अपने अधिदेश के निर्वहन में, अदालत इसके तहत बनाए गए किसी कानून या नियमों की वैधता का मूल्यांकन कर सकती है-हालांकि, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करते हुए अदालत वैधानिक भाषा को फिर से लिखकर न्यायिक व्याख्या के माध्यम से प्रावधान की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है-हस्तगत मामले में, उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा प्रतिलिप्याधिकार नियमों के नियम 29 के प्रभाव को यह निर्धारित करके संशोधित किया कि नोटिस में जो विवरण दिए जाने हैं, वे प्रसारण के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं-नियम 29 के अनुसार, प्रसारण संगठन प्रसारण से पहले पंद्रह दिनों का नोटिस देगा, अपवाद यह है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में प्रसारण के चौबीस घंटे बाद नोटिस दिया जाएगा-अंतरिम आदेश ने दूसरे परंतुक को एक अपवाद के बजाय एक ''नियमित प्रक्रिया'' में बदल दिया (जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश का वर्णन किया है) कि प्रसारण के पंद्रह दिन बाद नोटिस दिया जाएगा-उच्च न्यायालय द्वारा यह अभ्यास विधि पुनर्लेखन के बराबर है-विधान या प्रत्यायोजित विधान के न्यायिक पुनर्लेखन का ऐसा अभ्यास नहीं किया जा सकता है-विशेष रूप से अंतर्वर्ती कृतिवाही में । अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा वैधानिक नियम के न्यायिक पुनर्लेखन किया जाना आवश्यक नहीं है-प्रतिलिपि अधिकार नियम, 2013 - आर. 29 (4)-अंतर्वर्ती आदेश।

न्यायिक पुनर्विलोकनः का दायरा- निर्धारितः न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करते हुए न्यायालय विधिक भाषा के न्यायिक पुनर्लेखन द्वारा निर्वचन माध्यम से प्रावधान की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है--प्रारूपण एक ऐसा कार्य है जो विधायिका को सौंपा गया है- न्यायिक पक्ष का लेखन कौशल किसी कानून के शब्दों को फिर से लिखकर विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकती है- तब न्यायिक कला विधायी मसौदे के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती है।

विधियों का निर्वचनः यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी कानून के शब्द स्पष्ट और अशुद्धिरहित होते हैं, तो न्यायालय को कानून में शब्दों के भीतर पढ़ने अनुमति नहीं है।

अपीलों को स्वीकृत करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया किः- १.१ यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी कानून के शब्द अशुद्धिरहित और स्पष्ट होते है तो न्यायालय को कानून में शब्दों के भीतर पढ़ने अनुमति नहीं है। न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संविधान द्वारा प्रदान की गयी है। इस अधिदेश का निर्वहन करते हुए, न्यायालय किसी विधान या उसके तहत बनाए गए नियमों की वैधता का मूल्यांकन कर सकता है एक कानून अमान्य हो सकता है यदि वह संवैधानिक गारंटी से परे है या उसे शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियमति विधायिका का अतिक्रमण करता है। प्रत्यायोजित कानून, यदि इसके परिणामस्वरूप संवैधानिक उल्लंघन करता है या वह शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियमति कानून के दायरे के विपरीत है तो अमान्य किया जा सकेगा। हालाँकि, न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग के दौरान वैधानिक भाषा का पुनर्लेखन कर न्यायिक निर्वचन के माध्यम से प्रावधान की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।प्रारूपण एक ऐसा कार्य है जो विधायिका को सौंपा जाता है। न्यायिक पक्ष की लेखन कला किसी कानून के शब्दों को फिर से लिखकर विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकती है। तब न्यायिक शिल्प एक विधान के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा ठीक यही किया है। धारा ३१घ(2) अपीलीय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और दरों पर स्वामिस्व के भुगतान के साथ प्रसारण की अवधि और राज्य क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र को बताते हुए कृति के प्रसारण के आशय के बारे में पूर्व सूचना विहित रीति से देने की आवश्यकता की बात करती है। जबकि उच्च न्यायालय ने प्रसारकों को पूर्व सूचना की आवश्यकता पर रोक लगा दी, उच्च न्यायालय ने नियम 29 के प्रभाव को यह निर्धारित करते हुए संशोधित किया कि सूचना में जो विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं, वे प्रसारण के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि दूसरे परंतुक का उपयोग एक अपवाद के स्थान पर नियमित मामले के रूप में किया जा सकता है और पूर्व कार्योत्तर रिपोर्टिंग को पंद्रह दिनों की अवधि (चौबीस घंटे की अवधि के बजाय) तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य था क्योंकि यह प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए एक वैधानिक नियम को एक नई व्यवस्था और प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित करेगा जिसे उच्च न्यायालय अधिक व्यावहारिक मानता है। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को अपास्त किया जाता है। हालाँकि, उक्त मत इस स्पष्टीकरण के अधीन है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी पक्ष के तर्क के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। जो लंबित कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में निर्धारण के लिए आता है ।(कंडिका20-23) (149-जी,150-डी-एच,151-डी-एफ)
पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 533 अनुसरित।

इन रेः धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 2 /2020 16 अप्रैल 2021-संदर्भित।

पूर्व निर्णय विधि संदर्भ
2002, 2 एससीआर 383 पैरा 20 अनुसरित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील क्रमांक.5985- 5987/ 2021 डब्ल्यू. पी.क्रमांक 15860 मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2021 एवं और डब्ल्यू. एम. पी. सं. 16749 16752/2021 से उद्भूत- सलंग्न- सिविल अपील क्रमांक.5988 5990/2021.

अपीलार्थी के लिए मुकुल रोहतगी, अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्तागण। अंकुर संगल, सुश्री सुचेता रॉय, सुश्री इमोन रॉय, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण के लिए नवरोज सीरवई, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिषेक मल्होत्रा, सुश्री लिज मैथ्यू, सुश्री सपना चौरसिया, सुश्री नाओमी चंद्रा, सुश्री शिल्पा गमनानी, सुश्री आत्मजा त्रिपाठी, कैजाद ईरानी, सुश्री नमीशा चड्ढा, नवनीत आर., अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, न्यायाधीशगण द्वारा दिया गया ।

1. अनुमति प्रदान कि गई।

2. हस्तगत अपीलें याचिकाओं के एक समूह में मद्रास में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक अंतरिम आदेश दिनांक 2 अगस्त 2021 से उद्भूत हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिलिप्याधिकार नियम 2013 के नियम 29 (4) की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा निर्देश दिया किः

(I) नियम 29 के संदर्भ में किसी भी प्रतिलिप्याधिकार कृति का नियम 29 के संदर्भ में पूर्व सूचना जारी किए बिना प्रसारण नहीं किया जा सकता है।

(II) प्रसारण से संबंधित विवरण, विशेष रूप से अवधि, समय स्लॉट और इसी तरह, देय स्वामिस्व की मात्रा सहित प्रसारण या प्रदर्शन के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

(III) नियम 29 (4) द्वारा अनिवार्य पूर्व अनुपालन के विपरीत, कार्योत्तर की एक संशोधित व्यवस्था के साथ अनुपालन प्रभावी होगा और चौबीस घंटे की पूर्व सूचना का वैधानिक अधिदेश प्रसारण के कुछ दिनों के बाद पंद्रह दिवस के भीतर अनुपालन के प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए और

(IV) अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं और दूसरे और तीसरे प्रत्यर्थीगण के प्रतिलिप्याधिकार कार्यो जिनका दोहन किया जाना है तक सीमित होगा।

3. अपीलार्थियों की ओर से जो प्राथमिक निवेदन यह है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का प्रभाव प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा, ३१घ तथा धारा 78(2) (सीडी) के अंतर्गत बनाए गये नियम 29 (4) का पुनर्लेखन है।

4. अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री अखिल सिब्बल पेश हुए हैं। श्री नवरोज सीरवई और श्री वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थीयो की ओर से पेश हुए हैं, जो उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता हैं।

5. चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में अंतरिम निर्देश जारी किया गया है। तथा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा कैवियट से इन कार्यवाहियों में अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया है, हम अपीलों का इस स्तर पर निपटारा कर रहे हैं।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं का समूह दिनांक 04.10.2021 को अंतिम निराकरण हेतु नियत है। प्रत्यर्थीगण की ओर से यह शिकायत व्यक्त की गई है कि अपीलार्थीगण द्वारा याचिकाओं प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये है याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे ऐसा शीघ्रातिशीघ्र, आगामी नियत दिनांक के पूर्व करेगे जिससे आगामी नियत दिनांक के पूर्व रिट याचिकाओं के अंतिम निराकरण में सुविधा हो सके।

7. तथ्य, जहाँ तक वे अपीलों के निपटारे के लिए आवश्यक हैं, जो उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से उत्पन्न होते हैं का अवलोकन किया गया।

8. प्रतिलिप्याधिकार संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा, संसद ने धारा ३१घ के प्रावधानों को अंतः स्थापित किया जिन्हें 21 जून 2012 को लागू किया गया था। धारा ३१घ निम्नलिखित शब्दों में हैः

''३१घ. साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियों तथा ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिये कानूनी अनुज्ञप्ति-(1) ऐसा कोई भी प्रसारण संगठन, जो ऐसी किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति ध्वन्यंकन को, जिसका पहले प्रकाशन किया जा चुका है, प्रसारण के रूप में या प्रस्तुतीकरण के रूप में सार्वजिनक रूप से संसूचित करनें की वांछा करता है, वह ऐसा इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकेगा।

(2) प्रसारण संगठन कृति का प्रसारण करनें के अपनें आशय की पूर्व सूचना, जिसमें प्रसारण की अवधि और राज्य क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र का उल्लेख हो, ऐसी रीती में देगा, जो विहित की जाये और प्रत्येक कृति में अधिकारों के स्वामी को प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड द्वारा नियत दर पर और रीति में स्वामिस्व का संदाय करेगा।

(3) रेडियो प्रसारण के लिए स्वामिस्व की दरें टेलीविजन प्रसारण से भिन्न होगी और प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड रेडियो प्रसारण तथा टेलीविजन प्रसारण के पृथक पृथक दरें नियत करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन स्वामिस्व की रीति और दर नियत करनें में प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड प्रसारण संगठन से अधिकारों के स्वामियों को अग्रिम संदाय करनें की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) कृति के रचयिताओ और मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं के नाम, उस कृति को प्रस्तुतिकरण के रूप में संसूचित करने वाले प्रसारण संगठन की दशा के सिवाय, प्रसारण में घोषित किए जाएंगे।

(6) किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में प्रसारण की सुविधा के लिये कृति को संक्षिप्त करनें से भिन्न, नये सिरे से ऐसा कोई परिवर्तन, जो प्रसारण के प्रयोजन के लिये तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है, अधिकारों के स्वामियों की सहमति के बिना नही किया जाएगा

(7) प्रसारण संगठन करेगा-

(क) ऐसे अभिलेखों और लेखा बहियां रखेगा और अधिकारों के स्वामियों को ऐसी रिपोर्ट और लेखे ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जायेः और

(ख) अधिकारो के स्वामी को या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को ऐसे प्रसारण से संबंधित सभी अभिलेखों और लेखाबहियों का, ऐसी रीति में, निरिक्षण करनें की अनुज्ञा देगा, जो विहित की जाए।

(8) इस धारा की किसी बात से प्रतिलिप्याधिकार(संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रारंभ के पूर्व जारी किसी अनुज्ञप्ति या किए गए किसी करार के प्रर्वतन पर प्रभाव नहीं पडेगा।''

9. अधिनियम की धारा ३१घ की उप-धारा (1) के तहत, एक प्रसारण संगठन, जो ऐसी किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति ध्वन्यंकन को, जिसका पहले प्रकाशन किया जा चुका है, प्रसारण के रूप में या प्रस्तुतीकरण के रूप में सार्वजिनक रूप से संसूचित करनें की वांछा करता है, इस हेतु उक्त धारा की उप- धारा(2) के प्रावधानों के अनुपालन के साथ उक्त कार्य कर सकता है जिसमें निम्न पाँच आवश्यकताएँ शामिल हैं, अर्थातः (क) एक पूर्व सूचना (ख) विहित

रीति से (ग) कृति को प्रसारित करने के आशय की (घ) प्रसारण की अवधि और राज्य क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र बताते हुए और (ड) प्रत्येक कृति में अधिकारों के स्वामी को अपीलीय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और दर पर स्वामिस्व का भुगतान ।

10. कई प्रसारकों द्वारा बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड आई. पी. ए. बी. के समक्ष ध्वन्यंकन को एफएम रेडियो के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु वैधानिक लाइसेंस की मांग हेतु धारा ३१घ(नियमों के नियम 29 से 31 के प्रावधानों के साथ) दरों के निर्धारण की मांग करते हुए आवेदन दायर किए गए थे। कई वर्षों तक प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का विधिवत गठन नहीं किया गया था। वर्ष 2017 में एक विधिक संशोधन के परिणामस्वरूप प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का आई. पी. ए. बी. में विलय हो गया। 31 दिसंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, आई. पी. ए. बी. ने धारा ३१घ के तहत एफ. एम. रेडियो प्रसारण के माध्यम से ध्वन्यंकन के संसूचना के लिए स्वामिस्व और भुगतान तंत्र की दरों का निर्धारण किया।

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के आदेश में, मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्देश शामिल हैंः

'' 215 . हम एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त स्वामिस्व दरें जो कि ध्वन्यंकन प्रसारित करने के लिए पैरा 149 में निर्धारित कि गई है। 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक धारा ३१घ के तहत परिकल्पित ध्वन्यंकन और अंतर्निहित साहित्यिक और संगीत कार्यों के लिए क्रमशः देय होगी। हम आगे निर्देश देते हैं किः

(ए)-उपरोक्त स्वामिस्व दरों को आई. पी. ए. बी. की वेबसाइट और प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(बी)-नई स्वामिस्व दरें 01.10.2020 से लागू होती हैं।

(सी)-रेडियो प्रसारकों 01.10.2020 से 31.01.2021 की अवधि के लिऐ 10.02.2021 पर या उससे पहले संगीत कंपनियों को स्वामिस्व के बकाया का भुगतान करना पड़ेगा। जहाँ तक ध्वन्यंकन अंतर्निहित कार्यों के लिए हमारे द्वारा निर्धारित स्वामिस्व का संबंध है, उसे अधिनियम की धारा 18 और 19 के परंतुक 3 और 4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार वितरित किया जाएगा। प्रसारकों से हमारे द्वारा निर्धारित स्वामिस्व की प्राप्ति के संबंध में हमारे द्वारा तय की गई ध्वन्यंकन के संबंध में, प्रसारक अपने सदस्यों की ओर से पी. पी. एल. को वही भुगतान करेंगे, बाकी का भुगतान सीधे संबंधित पक्षों को किया जाएगा। इसी तरह, अंतर्निहित कार्यों के लिए हमारे द्वारा निर्धारित लेखक और संगीतकार का हिस्सा लेखकों और संगीतकारों की ओर से आई. पी. आर. एस. द्वारा तय किया जाएगा। आई.पी.आर.एस. के गैर सदस्य प्रसारक से सीधे स्वामिस्व प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

(डी) रेडियो प्रसारकों को संगीत कंपनियों से वैधानिक लायसेंसप्राप्त करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार नियम, 2013 के नियम 29 का पालन करना होगा, जिसमें 01.02.2021 से उपरोक्त स्वामिस्व गणना के अनुसार अग्रिम भुगतान के साथ प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी को अग्रिम सूचना देनी होगी। नोटिस की एक प्रति अभिलेखों के लिए प्रतिलिप्याधिकार पंजीयक को भेजा जाना है।

(ई) यदि उन मामलों के जहां, प्रत्यर्थी नियमों में उल्लिखित अग्रिम भुगतान के लिए जोर देते हैं, तो हमारा विचार है कि चूंकि 2020 में कोविड-19 महामारी एक असामान्य घटना है। कोविड संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन ने रेडियो उद्योग को ही नहीं अपितु सभी उद्योगों को प्रभावित किया था। उक्त विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30.09.2021 तक, हम सभी प्रसारकों को नियम 29 के अनुपालन के तहत अग्रिम राशि के रूप में 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) हर कैलेंडर महीने में समयोजन की शर्त के साथ राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।

(एफ.) जहाँ तक क्षेत्रीय गीतों और छोटे प्रसारकों की बात है जिनके पास एक या दो रेडियो स्टेशन जिनकी कुल सकल आय10 करोड़ से कम है, वे पूर्वानुसार अधिनियम की धारा-30 के तहत संगीत कंपनियों के साथ परक्रामण कर एकमुश्त राशि जमा करके या उनके अनुसार तय शर्तो के अनुसार भुगतान के लिये स्वतंत्र है।

(जी.) बोर्ड द्वारा उक्त अवधि के अंत में नियम 31(9) के अंतर्गत स्वतः संज्ञान में या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन पर स्वामिस्व दरों की पुनर्विलोकन की जाएगी।

(एच)- इन कार्यवाहियों के तहत निर्धारित दर भविष्य में दरों में संशोधन परिवर्तन के लिए एक आधार का कृति करेगी जहा इस पूरी प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि वित्तीय विवरणों में परिवर्तन, रेडियो प्रसारकों की भुगतान क्षमता, महामारी के प्रभाव और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों आदि पर विचार किया गया है।

(आई)-सभी याचिका ऊपर निर्धारित स्वामिस्व के संदर्भ में स्वीकार की जाती है।

(जे)-इंडियन परफार्मिंग राइट्स सोसाइटी/लेखक (गीतकार और लेखक संगीतकार) भी समनुदेशित से अपने हिस्से का दावा करने के हकदार है।

(के)- कोई परिव्यय नहीं।''

11. यह अभिव्यक्त किया गया है कि आई. पी. ए. बी. के आदेश को एक ओर कॉपीराइट के स्वामी द्वारा चुनौती दी गई है दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय और बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दावे लंबित है। यह वर्तमान मामले में विवाद का विषय नहीं है।

12. नियमों के नियम 29 में निम्नलिखित आवश्यकताओं को शामिल किया गया हैः

''29. साहित्यिक या संगीतात्मक कृति ध्वन्यंकन को सार्वजिनक रूप से संसूचना के लिए स्वामी को सूचना-

(1) कोई भी प्रसारण संगठन, जो एसी किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति ध्वन्यंकन को, जिसका पहले प्रकाशन किया जा चुका है, है धारा ३१घ के अधीन प्रसारण के रूप में या प्रस्तुतीकरण के रूप में सार्वजिनक रूप से संसूचित करनें की वांछा करता है। संसूचना की सूचना प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी एवं प्रतिलिप्याधिकार पंजीयक को पांच दिवस पहले देगा तथा जनता के लिए इस तरह के संसूचना का अग्रिम भुगतान और प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी को, साहित्यिक या संगीतात्मक कृति या ध्वन्यंकन या उसके किसी संयोजन में, इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर देय स्वामिस्व की राशि का भुगतान करेगाः

बशर्ते कि, जनता प्रसारण या किसी नए प्रकाशित साहित्यिक या संगीतमय कृति या ध्वन्यंकन या उसके किसी संयोजन के प्रस्तुतीकरण के माध्यम के लिए संसूचना के मामले में जो इस तरह के संसूचना के पांच दिनों की उक्त अवधि के भीतर प्रकाशित किया गया है और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं हैं, जनता को इस तरह के संसूचना से पहले सूचना दी जाएगीः

बशर्ते कि, प्रसारण के माध्यम से या किसी प्रकाशित साहित्यिक या संगीत रचना और ध्वन्यंकन या उसके किसी संयोजन के प्रस्तुतीकरण के माध्यम के लिए संसूचना के मामले में, अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जनता को इस तरह के संसूचना के चौबीस घंटे के भीतर सूचना दी जाएगीः

बशर्ते कि, कोई भी प्रसारण संगठन नियम 31 के तहत बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली स्वामिस्व निर्धारित करने और पत्रिका में और प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के बाद ही इस अध्याय के

अधीन नोटिस देगा।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना केवल एक स्वामी के कार्यों के संबंध में होगी।

(3) रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से पहले से प्रकाशित किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति ध्वन्यंकन को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनता को संसूचना के लिए अलग-अलग नोटिस दिए जाएंगे ।

(4) उक्त उपनियम (1) के सूचनापत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां होगी-

(क) चैनल का नाम,

(ख) राज्य क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र जहां उपनियम(३) के अधिन रेडियो प्रसारण, टेलिविजन प्रसारण माध्यम से जनता केो संसूचना किया जाना है।

(ग) उप-नियम (3) के तहत जनता प्रसारण या रेडियो प्रसारण, टेलीविजन के माध्यम से जनता को सूचित किए जाने वाले कृति की पहचान करने के लिए आवश्यक विवरण।

(घ) ऐसी कृति के प्रकाशन का वर्ष, यदि कोई हो।

(ई) ऐसे कार्यों मे प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता

(च) ऐसी कृतियों के लेखकों और प्रमुख कलाकारों के नामय

(छ) परिवर्तन, यदि कोई हो, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या कार्यो के प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित हैं, उसके कारणों और अधिकारों के स्वामीयों की सहमति के साक्ष्य, यदि आवश्यक हो,

(ज) जनता के लिए प्रस्तावित संसूचना का तरीका, अर्थात रेडियो, टेलीविजन या प्रस्तुतीकरण,

(झ) उस कार्यक्रम का नाम, यदि कोई हो, जिसमें कार्यों को शामिल किया जाना है ,

(ण) कार्यक्रम के समय, अवधि और अवधि का विवरण जिन कार्यो को शामिल किया जाना है,

(ट) बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर स्वामिस्व के भुगतान का विवरण,

(ठ) उस स्थान का पता जहाँ अधिकारों के स्वामी द्वारा निरीक्षण के लिए अभिलेख और लेखा पुस्तकें हैं संधारित किया जाना है।''

13. नियम 29 (4) को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और कहा गया है कि (i)यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करता है और (ii) अधिनियम की धारा ३१घ का अतिलंघन करती है।

14. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के दौरान कहाः

''३- प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि नियम के बारे में असमर्थता यह है कि इसे अपने संचालन में लगभग अत्यधिक संकीर्ण जैसे देखा जा सकता है और लचीलेपन की कम गुंजाइश है। जैसा कि आक्षेपित नियम को पढ़ा जा सकता वास्तव में बोलने की अवधारणा या विज्ञापन लिब का प्रदर्शन, स्वच्छंदता जो किसी भी लाइव भाषण या लाइव प्रदर्शन में का सार है, यदि पूर्व नियोजित विवरण, कार्यक्रम के हर सेकंड तक का खुलासा किया जावेगा तो खो जावेगा ।''

उच्च न्यायालय का विचार था कि नियम 29 (1) के तहत प्रसारण करने के नोटिस में प्रसारक पर जो कर्तव्य डाला गया है वह ''स्पष्ट रूप से कठिन'' हैं। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को एक अपवाद के स्थान पर नियम 29 (4) के दूसरे परंतुक का सहारा ''नियमित प्रक्रिया'' के रूप मे लेने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि कार्यत्तर रिपोर्टिंग की अवधि को पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सके। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने धारा ३१घ के तहत एक पूर्व सूचना की आवश्यकता को बनाए रखते हुए, यह निर्धारित करते हुए नियम को फिर से तैयार किया है कि प्रसारण से संबंधित विवरण, विशेष रूप से अवधि, समय स्लॉट और इसी तरह, स्वामिस्व की मात्रा सहित प्रसारण या प्रदर्शन के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

15. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री अखिल सिब्बल ने कहा किः

(1) उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में नियम 29 (4) को फिर से लिखा गया है, जो किसी भी स्थिति में अंतरिम स्तर पर अस्वीकार्य है,

(2) नियम 29 (4) की वैधता पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है और यह नियम और कानून दोनों की संवैधानिकता से जुड़ी उपधारणा होगी।

(3) अंतर्गत धारा ३१घ की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। जिसके आधार पर नियम 29 बनाया गया है।

(4) आई. पी. ए. बी. का 31 दिसंबर 2020 का आदेश स्वामिस्व की दरें तय करते समय नियम 29 के साथ विशेष रूप से प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता व्यक्त करता है।

(५) उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के दौरान, इसे केवल उससे पहले के याचिकाकर्ताओं और उन प्रसारकों तक विस्तारित किया गया जिन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप नियम का अखिल भारतीय संचालन अनिश्चितता के दायरे में छोड़ दिया गया है।

16. इन प्रस्तुतियों को श्री नवरोज सीरवई और श्री नीरज किशन कौल द्वारा प्रसारक, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ओर से चुनौती दी गई है।

17. श्री नवरोज सीरवई ने आग्रह किया किः

(1) धारा ३१घ(2) में कहा गया है कि प्रसारण संगठन प्रसारण की अवधि और राज्य क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र बताते हुए काम को प्रसारित करने के अपने इरादे के बारे में पूर्व सूचना स्वामिस्व के भुगतान के साथ विहित रीति में देगा।

(2) धारा ३१घ इस तरह से एक विहित रीति से नोटिस देना, उस शर्तों की परिकल्पना नहीं करता है कि पूर्व सूचना में मिनट विवरण को शामिल किया जाना चाहिए।

(3) धारा 78 में नियम बनाने की शक्ति 'रूप', 'रीति' और 'शर्तो' के बीच अंतर करती है। चूँकि धारा ३१घ उस तरीके को संदर्भित करती है जिसमें नोटिस जारी किया जा सकता है, 'रीति' को 'शर्तो' को निर्धारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है।

18. अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने प्रस्तुत किया है किः

(1) धारा ३१घ संसद द्वारा 2012 का संशोधन प्रतिलिप्याधिकार स्वामी द्वारा सार्वजनिक हित के विरूद्ध उपयोग किए जाने वाले एकाधिकार अधिकारों के प्रयोग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पेश किया था।

(2) धारा ३१घ प्रसारकों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए के पक्ष में एक वैधानिक अधिकार बनाता है जिसके परिणामस्वरूप स्वैच्छिक लाइसेंस की पिछली व्यवस्था को धारा ३१घ में परिकल्पित वैधानिक लाइसेंसों की व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(3) दिसंबर 2020 तक आई. पी. ए. बी. के. प्रसारक विधिवत गठन के अभाव में प्रसारक स्वैच्छिक लाइसेंस अनुबंध के दायरे में काम कर रहे थे।

(4) नियम 29 (4) धारा ३१घ के उद्देश्य को विफल करता है। क्योकि यह पूर्व सूचना में कार्यवृत्त विवरण को शामिल करता है।

(5) कई प्रसारक गतिशील संवादात्मक के संदर्भ में काम करते हैं जिनके परिणामस्वरूप नियम 29 (4) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन और असंभव है।

(6) प्रसारक हर महीने के अंत में आई. पी. ए. बी. द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित स्वामिस्व देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और यहां तक कि अभिलेखों का निरीक्षण प्रतिलिप्याधिकार मालिकों को प्रस्तुत किया जाता है।

(7) जबकि धारा ३१घ आशयित प्रसारण के केवल अवधि एवं क्षेत्रीय कवरेज, के लिए प्रावधान करती है नियम 29 (4) द्वारा निर्धारित किया गया नोटिस धारा ३१घ के वैधानिक दायरे से बहुत आगे निकल गया है और इसके विपरीत है।

19. जबकि प्रतिद्वंद्वी की ओर से पेश अधिवक्ता नें गुणदोष के आधार पर प्रस्तुतियों को संबोधित किया है, हम संवैधानिक चुनौती पर कोई भी राय व्यक्त करने से बचेंगे जो मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जहां, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिट याचिकाएं 4 अक्टूबर 2021 को अंतिम निपटान के लिए निर्धारित हैं।

20. इस स्तर पर, मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को स्थिर रखा जा सकता है। मुख्य रूप से, जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में वर्णन से संकेत मिलता है, उच्च न्यायालय ने नियम 29 (4) के प्रावधान अपनी खुद की व्यवस्था के साथ प्रतिस्थापित किया है। जो प्रसारकों और उसके समक्ष याचिकाकर्ताओं पर लागू किया गया है। इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ नें इन रेः धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 2 /2020 16 अप्रैल 2021 के मामले मे इस बात पर जोर दिया है कि न्यायपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती है कानून को फिर से लिख कर नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करना, चाहे प्रलोभन कितने भी प्रबल क्यों न हों। इस न्यायालय ने टिप्पणी की किः-

''२०. अदालत को कुछ शब्दों को पढ़कर प्रावधानों में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करनें की अनुमति नहीं है। एक न्यायाधीश को किसी कानून को फिर से नहीं लिखना चाहिए, न तो इसे विस्तारित करने के लिए और न ही संकुचित करने के लिए। भले ही नीति-निर्माण की राजनीतिक कौशल जो भी प्रलोभन सुझाए, निर्वचन को अंतर्वेशन और निष्कासन से बचना चाहिए। उसे सृजन के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए। न्यायाधीश का कर्तव्य कानून की व्याख्या करना और उसे लागू करना है, न कि न्याय की आवश्यकता के बारे में न्यायाधीश के विचार को पूरा करने के लिए इसे बदलना। अदालत किसी कानून में शब्द नहीं जोड़ सकती या उसमें शब्द नहीं पढ़ सकती जो कि वहां मौजुद नहीं है ।''

यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी कानून के शब्द स्पष्ट और अशुद्धिरहित होते हैं, तो अदालत को विधान के शब्दों के भीतर पढ़ने की अनुमति नहीं है। पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य(२००२) ३ एस.सी.सी. ५३३ के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा हैः

''12 - ..... न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान के भीतर कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो स्पष्ट और असंदिग्ध है। कानून विधायिका का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा स्वयं विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या आशय किया गया है लेकिन यह है कि क्या कहा गया है।''

''14- एक प्रावधान की व्याख्या करते समय अदालत केवल कानून की व्याख्या करती है। कानून बना नहीं सकती हैं । यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह विधायिका का काम है कि वह इसे संशोधित, दुरूस्त या निरस्त करे, यदि ऐसा किया जाना आवश्यक है।''

21. न्यायालय को संविधान द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अपने अधिदेश के निर्वहन में, न्यायालय किसी विधान या उसके तहत बनाए गए नियमों की वैधता का मूल्यांकन कर सकता है। एक कानून अमान्य हो सकता है यदि वह संवैधानिक गारंटी का अतिलंघन करता है या विधायी क्षेत्र अधिनियमित करने वाली विधायिका का उल्लंघन करता है। प्रत्यायोजित कानून यदि इसके परिणामस्वरूप संवैधानिक उल्लंघन होता है या अधिनियमिति कानून के दायरे के विपरीत है, तो अमान्य किया जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के अभ्यास में वैधानिक भाषा को फिर से लिखकर न्यायिक व्याख्या के माध्यम से प्रावधान की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।प्रारूपण एक ऐसा कार्य है जो विधायिका को सौंपा गया है। न्यायिक पक्ष की शिल्पकला किसी कानून के शब्दों को फिर से लिखकर विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकती है। तब के लिए, न्यायिक शिल्प एक विधायी मसौदे के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने अंतरिम आदेश द्वारा ठीक यही किया है। धारा ३१घ(2) अपीलीय बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और दरों पर स्वामिस्व भुगतान के साथ प्रसारण की अवधि और राज्य क्षेत्रीय सीमा क्षेत्र बताते हुए कृति को प्रसारित करने के इरादे के बारे में विहित रीति से पूर्व सूचना देने की आवश्यकता की बात करती है।

जबकि उच्च न्यायालय ने प्रसारकों को पूर्व सूचना की आवश्यकता पर रोक लगा दी है, उसने नियम 29 के संचालन को यह निर्धारित करके संशोधित किया है कि सूचना में जो विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं, वे प्रसारण के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतरिम आदेश दूसरे परंतुक को एक अपवाद के बजाय एक ''नियमित प्रक्रिया'' में बदल देता है (जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्देशो का वर्णन किया है)। उच्च न्यायालय की यह कवायद फिर से लिखने के बराबर है। कानून या प्रत्यायोजित कानून के न्यायिक पुनर्लेखन की ऐसी कवायद नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अंतर्वर्ती स्तर पर ऐसा किया है।

22. इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि नियम 29(4) का न्यायिक पुनः प्रारूपण अनुचित था, विशेष रूप से अंतर्वर्ती स्तर पर। प्रसारकों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्त की गई कठिनाइयों ने मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आवश्यकता पर जोर दिया है और इस न्यायालय को प्रतिलिप्याधिकार स्वामीयों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे तुरंत अपने जवाबी शपथ पत्र दाखिल करेंगे ताकि कार्यवाही के त्वरित निपटान की सुविधा हो सके। यह आश्वस्त किए जाने के बाद, हमारा विचार है कि एक वैधानिक नियम के न्यायिक पुनर्लेखन का अभ्यास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अनुचित है, विशेष रूप से अंतर्वर्ती कार्यवाही में। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि दूसरे परंतुक का उपयोग एक अपवाद के बजाय नियमित रूप से किया जा सकता है और पूर्व कार्योत्तर रिपोर्टिंग को पंद्रह दिनों की अवधि (चौबीस घंटे की अवधि के बजाय) तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह की अभ्यास अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए एक वैधानिक नियम को एक नई

व्यवस्था और प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित करेगा जिसे उच्च न्यायालय अधिक व्यावहारिक मानता है।

23. हम तदनुसार 2 अगस्त 2021 के उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को अपास्त करके अपीलों को अनुमति देते हैं। हालाँकि, यह इस स्पष्टीकरण के अधीन है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के गुण दोष जो लंबित मामलों में उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निर्धारण के लिए आते हैं पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निराकृत किये जाते है।

अनुवाद द`वारा अभिषेक सोनी अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्याधीश कनिष्ठ खंड, सैलाना, जिला रतलाम म०प्र०